न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2021/30
मिसल नम्बर– 137 / 2021

1.जाहिद हुसैन पुत्र श्री रमजानी आयु 74 वर्ष
2.सकीना बेगम पत्नी श्री जाहिद हुसैन आयु 65 वर्ष निवासीगण मकान नं0 48 भिश्तीपाडा मौखापाडा कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.मुजाहिद हुसैन पुत्र श्री जाहिद हुसैन आयु 50 वर्ष
2.जरीना पत्नी श्री मुजाहिद हुसैन आयु 44 वर्ष निवासीगण मकान नं0 48 भिश्तीपाडा मौखापाडा कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 13/12/24

उपस्थितिः–
1.श्री धीरज कुमार जैन प्रार्थी अधिवक्ता।
2.श्री भुवनेश कुमार शर्मा अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सिनीयर सिटीजन है जो अपना पालन–पोषण मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल करते है। तथा प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण से कोई राशि ना तो भरण–पोषण के रूप में ना ही किसी त्यौहार पर लेते है जबकि अप्रार्थीगण का यह दायित्व है कि वह प्रार्थीगण की उचित देखभाल करे। प्रार्थीगण ने ही अप्रार्थी कम–1 का विवाह अप्रार्थी कम–2 से अपनी हैसियत अनुसार करा था तथा अप्रार्थी कम–1 को अपना पुत्र मानते हुए ही स्वयं की कमाई से बनाये हुए मकान में जिसमें प्रार्थीगण ने बडी मुश्किल से धीरे– धीरे चार कमरो का निर्माण करवाया था मे से एक कमरा अप्रार्थीगण को रहने के लिये दे रखा है, जिसका सारा खर्चा भी प्रार्थीगण ही जैसे तैसे करके वहन करते है। अप्राथी कम–1, अप्राथी कम–2 की बातो में आकर प्रार्थीगण के साथ आये–दिन गाली–गलोच करके लडाई–झगडा करने पर आमादा हो जाता है तथा प्रार्थीगण को धमकी देता है कि मै तुम्हे जान से मारकर इस मकान को बेचकर कहीं और मकान लूंगा तथा अप्रार्थी कम–2 आये–दिन प्रार्थीगण को धमकी देती है कि तुम्हे केसो में फंसाकर जिन्दगी भर अदालतो व थानो के चक्कर लगवाउंगी तथा तुम बुढापे में दोनो इस मकान का क्या करोंगे, इस मकान को तुम मेरे व मेरे पति के

उपखण्ड अधिकारी कोटा

नाम नही लिखोंगे तो तुम्हारा बुढापा हम खराब कर देंगें। प्रार्थीगण द्वारा इस सम्बन्ध में कई बार शिकायत प्रार्थी व उसकी पत्नी के द्वारा थाना कैथूनीपोल, कोटा में करने के पश्चात उनके विरूद्ध थाना कैथूनीपोल, कोटा द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई है। प्रार्थी व उसकी पत्नी के पास स्वयं के पालन पोषण हेतु कोई स्थायी आय का जरिया नही है जबकि अप्रार्थी कम–1 सब्जीमण्डी, कोटा में किसी ठेकेदार के पास काम करता है जहां से उसे करीब 25 हजार रूपये प्रतिमाह की आय होती है। इसी प्रकार अप्रार्थी कम–2 भी घर पर रहकर सिलाई व कढ़ाई का कार्य करती है जिससे उसे करीबन 8–9 हजार रूपये प्रतिमाह की आय होती है जो कि स्थायी आय का जरिया है फिर भी अप्रार्थीगण, प्रार्थी व उसकी पत्नी को किसी प्रकार से कोई आर्थिक मदद नही करते है बल्कि प्रार्थी ही जैसे तैसे करके घर की सम्पूर्ण जिम्मेदारियो का निर्वहन करता है। प्रार्थी व उसकी पत्नी जिस मकान में रहते है वह मकान प्रार्थी के नाम है जो उसने स्वयं की आय से जैसे तैसे बनवाया है उसमें 4 कमरे है जिनमें से अप्रार्थीगण ने एक कमरे पर जबरन कब्जा कर रखा है जो कि अनुचित है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी व उसकी पत्नी की कोई सार संभाल नही करते है तथा ना ही किसी त्यौहार पर उनसे सम्पर्क करते है बल्कि उनके साथ मारपीट करके सम्पूर्ण मकान से उन्हे भगाकर या उनकी मृत्यु करके कब्जा करने पर अमादा है। प्रार्थीगण सिनीयर सिटीजन है जो जैसे तैसे अपना व अपनी पत्नी का पालन–पोषण कर रहे है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा विभिन्न तरीके से कार्य व रोजगार कर आमदनी की जा रही है तथा प्रार्थी व उसकी पत्नी के पास कोई निशिचित आय का साधन नही है। जबकि अप्रार्थीगण उनका भरण पोषण करने में पूर्णतः सक्षम है तथा प्रार्थी व उसकी पत्नी को स्वंय के भरण पोषण हेतु 10,000/– रूपये अप्रार्थीगण से दिलवाये जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थीगण अपना जीवन सहज रूप से यापन कर सके। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र को केस रजिस्टर दर्ज कर मुलजिमान को जर्ये गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया जावे और अप्रार्थीगण से प्रार्थी के मकान को कब्जा मुक्त करवाया जाये और उनकी मासिक आय से प्रार्थी व उसकी पत्नी को 10.000/– रूपये प्रतिमाह दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे तथा जो भी न्यायोचित सहायता हो वो भी प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उचित देखभाल तथा भरण पोषण करते है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण को केवल एक कमरा बाहर का दिया हुआ है तथा शेष मकान में स्वयं निवास करते है तथा मकान का किराया प्राप्त करते है। उत्तरदाता द्वारा बनाया गया खाना भी नही खाते तथा स्वयं इच्छा से अलग भाग में निवास करते है और उत्तरदाता को बाहर निकाल रखा है जबकि उत्तरदाता भरणपोषण व सेवा को सदैव तत्पर है। उत्तरदाता खुली मजदूरी करते है जो माह में 15 दिन मिलती है व स्वयं को भरण पोषण भी बड़ी मुश्किल से होता है। प्रार्थीगण द्वारा उत्तरदाता को कमरे से बेदखल करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। उत्तरदाता की आय का कोई स्रोत नही है। दैनिक मजदूर है जिसमें स्वयं का भरण पोषण भी मुश्किल से होता है जबकि प्रार्थीगण को किराया प्रतिमाह 15,000/– प्राप्त होता है जिससे स्वयं भरण पोषण में सक्षम है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को.

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। दौराने बहस उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एव जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान मकान नं0 48 भिश्तीपाडा मौखापाडा कोटा कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अप्रार्थीगण की ओर से अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण को केवल एक कमरा बाहर का दिया हुआ है तथा शेष मकान में स्वयं निवास करते है तथा मकान का किराया प्राप्त करते है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की ओर से भी यह कथन किया है कि प्रार्थीगण ने चार कमरो का निर्माण करवाया था जिसमे से एक कमरा अप्रार्थीगण को रहने के लिये दे रखा है। उभयपक्ष के उक्त कथन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण एक कमरे में निवास कर रहे है एवं शेष कमरे प्रार्थीगण से पास है जिस कारण से अप्रार्थीगण का उक्त कथन कि "प्रार्थीगण को प्रतिमाह किराया प्राप्त होता है" उचित प्रतीत होता है। न्यायहित मे हम यह भी उचित समझते है कि प्रार्थी वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थी अपनी सार–समांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थी क्रम 1 को निर्देश दिया जाता है कि अपने माता–पिता को 1000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक 13/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा